रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2002/ज्येष्ठ 16, 1924
No. 117] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2002/JYAISTHA 16, 1924

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2002

सं. एन.-10/10/2001-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1)इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [कनिष्ठ सिविल निर्माण स्कंध पद] सेवा विनियम 2002 कहा जाएगा।
(2)ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियोग:- ये विनियम इसके साथ संलग्न संबंधित अनुसूचीमें विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. प्रारंभिक संघटन:- इन नियमों के प्रवर्तन के समय कनिष्ठ अभियंता [विद्युत] [अनुभागीय अधिकारी] , कनिष्ठ अभियंता [सिविल] [अनुभागीय अधिकारी] , ड्राफ्टमैन ग्रेड- 2 [अनुरेखक] , फैरो प्रिंटर और वास्तु सहायक ग्रेड- 2 के पदों को नियमित आधार पर धारण करने वाले और जिन्होंनिगम के कर्मचारी बनने के लिए विकल्प दे दिया है, ऐसे सभी व्यक्ति इन विनियमों के तहत नियुक्त माने जाएंगे। इन विनियमों के प्रवर्तन से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा को अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता निर्धारण करने के वास्ते गिना जाएगा।

4. पद संख्या और वेतनमान -

पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान वे होगें, जो उक्त अनुसूची के कॉलम [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -

उपर्युक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता -

वह व्यक्ति -

[क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या

[ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैं,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. शिथिल करने की शक्ति -

जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताओं और न्यूनतम अर्हक सेवा से संबंधित इन विनियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

8. व्यावृत्ति:-

इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ अभियंता [विद्युत] [अनुभागीय अधिकारी]	* 242 (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	5000-150-8000/- रुपए	लागू नहीं	18 से 30 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट होगी ।] **टिप्पणी:**. आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णय तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवार से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का चम्बा जिला तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर ।	केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा । **वांछनीय:** विद्युत अभियांत्रिकी मे डिग्री

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
7	8	9	10	11
लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**पुष्टिकरण के लिए:** 1. अधीक्षक अभियंता [विद्युत] - अध्यक्ष 2. कार्यपालक अभियंता [विद्युत] - सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी- सदस्य * प्रमुख अभियंता,आकाशवाणी द्वारा नामित किया जाएगा ।

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ अभियंता [सिविल] [अनुभागीय अधिकारी]	* 695 (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	5000-150-8000/- रुपए	लागू नहीं	18 से 30 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट होगी ।] **टिप्पणीः** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णय तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का चम्बा जिला तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर ।	केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनीयरी में डिप्लोमा । **वांछनीयः** इंजीनीयरी में डिप्लोमा

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरंचना
7	8	9	10	11
लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	100 % सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**पुष्टिकरण के लिए:** १. अधीक्षक अभियंता [सिविल] - अध्यक्ष २. कार्यपालक अभियंता [सिविल]- सदस्य ३. प्रशासन अधिकारी- सदस्य * प्रमुख अभियंता, दूरदर्शन द्वारा नामित किया जाएगा ।

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
ड्राफ्टमैन ग्रेड- 3 [अनुरेखक]	* 82 (2002) * कर्मभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	4000-100-6000/- रुपए	चयन एवं वरीयता	18 से 27 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियो के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट होगी ।] **टिप्पणी:.** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारो से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का चम्बा जिला तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारो के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर ।	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक तथा ड्राफ्टसमेनशिप [सिविल अथवा विद्युत/यांत्रिकी] में दो वर्ष का डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष स्तर का डिप्लोमा ।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरंचना
7	8	9	10	11
आयुः नहीं अर्हताएं:जी हॉ	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	90 % सीधी भर्ती द्वारा तथा 10 % पदोन्नति द्वारा तथा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	उसी ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले फेरोप्रिंटर	**पदोन्नति/पुष्टिकरण के लिए:** 1. अधीक्षक अभियंता [सिविल] - अध्यक्ष २. कार्यपालक अभियंता [सिविल]- सदस्य ३. कार्यपालक अभियंता [विद्युत] - सदस्य * प्रमुख अभियंता, आकाशवाणी द्वारा नामित किया जाएगा ।

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
फैरो-प्रिंटर	* 23 (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	2750-70-3800-75-4400	लागू नहीं	18 से 30 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट होगी ।] **टिप्पणी:** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णयक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेधालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का चम्बा जिला तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मोदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर ।	1.मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष अर्हता 2.फैरो फ्रेमों फैरो प्रिंटिंग तथा ड्राइंग मशीनों की कार्यप्रणाली का पूर्ण ज्ञान 3.पेपर को सेनसिटाइज करने के लिए केमिकल घोल तैयार करने तथा अमोनिया गेस प्रिंट विकसित करने की योग्यता । 4.फैरो मशीन चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
7	8	9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**पुष्टिकरण के लिए:** 1. अधीक्षक अभियंता [सिविल] - अध्यक्ष २. कार्यपालक अभियंता [सिविल]- सदस्य ३. प्रशासन अधिकारी अथवा प्रधान लिपिक अथवा लेखाकार - सदस्य * प्रमुख अभियंता, आकाशवाणी द्वारा नामित किया जाएगा ।

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
वास्तु सहायक ग्रेड- 2	* 54 (2002) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	4500-125-7000/- रुपए	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु में पांच वर्ष तक की छूट होगी ।] **टिप्पणी:**. आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णयक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का चम्बा जिला तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर ।	मान्यताप्राप्त संस्थान से वास्तुशास्त्र में इंटर परीक्षा [मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम] अथवा पूर्णकालिक डिग्री कोर्स अथवा समकक्ष अथवा वास्तुशास्त्र सहायक का तीन वर्षीय पूर्णकालीन डिप्लोमा कोर्स ।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
7	8	9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**<u>पुष्टिकरण के लिए:</u>** 1. वरिष्ठ वास्तुकार - अध्यक्ष २. वास्तुकार - सदस्य ३. प्रशासन अधिकारी - सदस्य * प्रमुख अभियंता, आकाशवाणी द्वारा नामित किया जाएगा ।

IndiaCode

के. एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन III/IV/163/2002-असा.]

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2002

No. N-10/10/2001-PPC.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 33 read with sub-section (2) of Section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement** : (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Civil Construction Wing posts) Service Regulations, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** : These regulations shall apply to the posts specified in the Schedule annexed hereto.

3. **Initial Constitution** : All persons appointed at the commencement of these regulations holding the posts of Junior Engineer (Electrical) (Sectional Officer), Junior Engineer (Civil) (Sectional Officer), Draftsman Grade III (Tracer), Ferro Printer and Architectural Assistant Grade II on regular basis and who have opted for transfer of their services to the Corporation, shall be deemed to have been appointed as such under these regulations. The service rendered by them before the commencement of these regulations shall be taken into account for the purpose of confirmation, deciding the eligibility to the next higher grade and pension.

4. **Number of posts and scales of pay** ; The number of posts and their scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) and (3) of the Schedule aforesaid.

IndiaCode

5. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** : The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in the columns 4 to 11 of the said Schedule.

6. **Disqualification** : No person-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule with prior approval of the Central Government.

IndiaCode

7. **Power to relax** : Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government relax any of the provisions of these regulations relating to age limit, educational and other qualifications and minimum qualifying service with respect to any class or category of persons or posts.

8. **Saving** : Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the scheduled tribes, Other Backward Communities, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Junior Engineer (Electrical) (Sectional Officer)	*242 (2002) * subject to variation dependent on workload.	Rs. 5000-150-8000/-	Not applicable	Between 18- 30 years (The upper age limit relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati) *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Laksadweep.	Diploma in Electrical Engineering from any Institute recognized by the Central Government. Desirable: Degree in Electrical Engineering.	Not applicable	Two years for direct recruits.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	For Confirmation : * (1) Superintending Engineer (Electrical) - Chairman * (2) Executive Engineer (Electrical) - Member (3) Administrative Officer - Member * To be nominated by the Engineer-in-Chief, Akashvani

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Junior Engineer (Civil) (Sectional Officer)	*695 (2002) * subject to variation dependent on workload.	Rs. 5000-150-8000/-	Not applicable	Between 18- 30 years (The upper age limit relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note* : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Laksadweep.	Diploma in Civil Engineering from any Institute recognized by the Central Government. Desirable: Degree in Engineering.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	For Confirmation : * (1) Superintending Engineer (Civil) -Chairman * (2) Executive Engineer (Civil) -Member (3) Administrative Officer - Member * To be nominated by the Engineer-in-Chief, Doordarshan

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Draftsman Grade-III (Tracer)	*82 (2002) * subject to variation dependent on workload.	Rs. 4000-100-6000/-	Selection-cum-Seniority	18- 27 years (The upper age limit relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Laksadweep.	Matriculation and two years Diploma in Draftsmanship (Civil or Electrical/ Mechanical) from a recognized institute or equivalent.	Age : No Qualifications: Yes	Two years for direct recruits.	90% by direct recruitment and 10% by promotion, failing which by direct recruitment.	Ferro-Printer with five years regular service in the grade.	For promotion/ confirmation: * (1) Superintending Engineer (Civil) -Chairman * (2) Executive Engineer (Civil) -Member *(3) Executive Engineer (Electrical) - Member * To be nominated by the Engineer-in-Chief, Akashvani

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 Ferro-Printer	*23 (2002) * subject to variation dependent on workload.	Rs. 2750-70-3800-75-4400/-	Not applicable	Between 18- 30 years, (The upper age limit relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Laksadweep.	1. Matriculate or equivalent qualification. 2. Through knowledge of working of Ferro-Frames, Ferro-Printing and drawing machines. 3. Ability to prepare chemical solution for sensitising paper and develop ammonia gas prints. 4. At least two years experience of operating Ferro machines.	Not applicable	Two years.	By direct recruitment	Not applicable	<u>For Confirmation</u> : * (1) Superintending Engineer (Civil) -Chairman * (2) Executive Engineer (Civil) -Member * (3) Administrative Officer or Head Clerk or Accountant - Member * To be nominated by the Engineer-in-Chief, Akashvani

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Architectural Assistant Grade-II	* 54 (2002) * subject to variation dependent on workload.	Rs. 4500-125-7000/-	Not applicable	Between 18- 27 years (Upper age limit relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates candidates for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Laksadweep.	Intermediate in Architecture (Recognized Course) of a full time degree course or equivalent or a three years full time diploma course in Architectural Assistantship of a recognized Institute.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	For Confirmation : *(1) Senior Architect - Chairman *(2). Architect – Member (3) Administrative Officer - Member * To be nominated by the Engineer-in-Chief, Akashvani

K. S. SARMA, Executive Member
[ADVT III/IV/163/2002-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode